

### राजस्थान राजपत्र विशेषांक

#### RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 17, गुरूवार, शाके 1944-दिसम्बर 08, 2022 Agrahayana 17 Thursday, Saka 1944- December 08, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों। श्रम, कौशन नियोजन एवं उद्यमिता विभाग अधिस्चना जयप्र, दिसम्बर 06, 2022

संख्या एफ.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-II-00570 :-कारखाना अधिनियम. 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार. कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक (रसायन) नियम. 1958 में राजस्थान सेवाओं में निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के रूप में पदाभित पद को तत्समय-धारण करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राजस्थान के लिए "निरीक्षक" नियुक्त करती है।

1. श्री मोहित शर्मा

राज्यपाल की आजा से,

नरेश गोकलानी, शासन उप सचिव।

# Labour, Skills, Employment & Entrepreneurship Department Notification Jaipur, December 06, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .-In exercise of powers conferred by subsection (1) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) the State Government hereby appoints the following person presently holding the post designated as Inspector of Factories & Boilers in the Rajasthan Service of Inspector of Factories & Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 as 'Inspector' for the purpose of the said Act for the whole of Rajasthan:-

1. Sh. Mohit Sharma

By order of Governor,

Naresh Goklani, Deputy Secretary to the Govt.

#### श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 06, 2022

संख्या एफ.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-II-00570:- बॉयलर्स अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक (रसायन) नियम, 1958 में की राजस्थान सेवाओं में निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के रूप में पदाभित पद को तत्समय-धारण करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण राजस्थान के लिए "निरीक्षक" नियुक्त करती है।

1. श्री मोहित शर्मा

राज्यपात्र की आजा से.

नरेश गोकलानी, शासन उप सचिव।

# Labour, Skills, Employment & Entrepreneurship Department Notification Jaipur, December 06, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .-In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Boilers Act, 1923 (Central Act 5 of 1923) the State Government hereby appoints the following person presently holding the post designated as Inspector of Factories & Boilers in the Rajasthan Service of Inspector of Factories & Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 as 'Inspector' for the purpose of the said Act for the whole of Rajasthan:-

1. Sh. Mohit Sharma

By order of Governor,

Naresh Goklani, Deputy Secretary to the Govt.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयप्र।